

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 25/2020

तारीख रजू 08.01.2020

भरत पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी बहराण्डा कलॉ तह.खण्डार ।

---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ ।

----- रेसपो०

निर्णय

दिनांक.....26/3/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 28/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बहराण्डा कलॉ के आराजी खसरा नम्बर 1398/38 रकबा 15.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपो० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेसपो० की ओर से राजकीय पेट्रोकार उपस्थित आये तथा अधिनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि उक्त प्रकरण में अपीलान्त को कोई सम्मन नहीं मिला तथा नहीं अपीलान्त को कोई तामिल हुयी अगर अपीलान्त की तामिल हो जाती तो अपीलान्त अपने पक्ष में जवाबदेही पेश करता। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 1398/38 रकबा 15.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह वाके ग्राम बहराण्डा कलॉ पर अपीलान्त का वर्तमान में कोई कब्जा काशत नहीं है। तथा नहीं अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है, मात्र पटवारी हल्का ने गलत प्रकार से रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर ही रंजिश वश बिना मौका देखे ही पेश की है जिसके आधार पर अपीलान्त को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया है गया है जो अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




अपीलान्ट कोई पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं रहा है अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पश्चातवर्ती अतिचारी का उल्लेख किया है किन्तु निर्णय में उल्लेखित नहीं किया है कि किस साल व सम्वत में अपीलान्ट ने उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता ।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट के भाई को नोटिस तामील करायी गयी अपीलान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 10.12.2019 को उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें नायब तहसीलदार बहराण्डा कलों द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2019 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 30 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/3/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर